

EXTRAORDINARY

भाग ।।।--खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

324 |

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2010/अग्रहायण 24, 1932

No. 324

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2010/AGRAHAYANA 24, 1932

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसचना

बैंगलौर, 8 नवम्बर, 2010

फा. सं. उ.चि.आ./द.म./ए/19/11/2006/कर्ना.--क.रा. बी.निगम द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में जैसा कि दिनांक 25-4-1951 को इसकी सभा में निगम महानिदेशक के अधिकार पर विचार विमर्श करते हुए क.रा.बी. (सामान्य) अधिनियम, 1950 के अधिनियम 105 के अधीन किया गया और यह अधिकार चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली को समसंख्यक फाइल संख्या पी.टी. फाइल य-13/12/13/2005-पी.टी.एम.आर. (चिकि.I), दिनांक 4-8-2008 के तहत सौंप दी गई तथा समसंख्यक मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली आदेश प्राप्ति संख्या यू-13/12/13/2005-(चिकि. I) पी.टी. एम.आर., दिनांक 9-9-2008 के तहत मुझे सौंप दी गई । मैं एतदुद्वारा निम्नलिखित डॉक्टर (डॉक्टरों) को चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में निम्नलिखित श्रेणी के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ जो निम्नलिखित दिनांक से लागू होते हुए एक वर्ष के लिए या 65 वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक अथवा पूर्णकालिक समय तक चिकित्सा निदेशी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, अधोहस्ताक्षरित द्वारा चिकित्सा परीक्षा व आगे चलकर उन्हें प्रमाण-पत्र पारित करने (जब मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदेहजनक हो) के उद्देश्य से कार्य करेंगे।

केन्द्रकानाम नाम (स्थान/जिला/राज्य) डॉ बी.हेमावती 27-8-2010 से 26-8-2011 मैसर एवं नंजनगुड क्षेत्र डॉ बी.आर. कविशेट्टी, राज्य चिकित्सा आयुक्त (कर्ना.) [विज्ञापन]]]/4/61/10-असा.] 4761 GI/2010

अवधि

E.S.I. CORPORATION

NOTIFICATION

Bangalore, the 8th November, 2010

F. No. DMC/SZ/A/19/11/2006/KAR.-In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the power of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power delegated to the Medical Commissioner, E.S.I.C., Hqrs., New Delhi vide Director General Order file No. Pt. File U-13/12/13/2005-PTMR (Med.I) dated 4-8-2008 and further re-delegated to me vide Headquarters, ESIC, New Delhi order file No. U-13/12/13/2005-Med.I/PTMR dated 9-9-2008. I hereby authorize the following doctor(s) to function as Medical authority at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f. the date given below for one year or till the date of attaining the age of 65 years or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them. When the correctness of the original certificate is in doubt.

| Name | Period | | Name of the Centre |
|------------------|---------|-----------|----------------------------|
| | From | To(lyear) | (Place/Distt./State) |
| Dr. B. Hemavathi | 27-8-10 | 26-8-2011 | Mysore & Nanjangud Area |

Dr. B.R. KAVISHETTI, State Medical Comm. (Kar.)

[ADVT III/4/61/10/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.